संख्या- 26 /2018/330/22-4-18-48(7)/17

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊः दिनांक- 20 मार्च, 2018

विषय- प्रदेश की 25 कारागारों की पाकशालाओं का आधुनिकीकरण कराये जाने के लिए उपकरणों तथा मशीनों की स्थापना किये जाने हेतु क्रयानुमोदन प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9160/आधु0-01/पाकशाला, दिनांक 12.03.2018, का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की बैठक दिनांक 05.03.2018 में की गयी संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न विवरणानुसार प्रदेश की 25 कारागारों में आधुनिक पाकशाला उपकरण/मशीनें तथा समुचित वेण्टीलेशन हेतु इलेक्ट्रानिक चिमनी सिस्टम स्थापित किये जाने हेतु मैसर्स अंकुर ट्रेडर्स लखनऊ के पक्ष में रू0 4,71,000,00/- मात्र(रूपये चार करोड़ इकहत्तर लाख मात्र) से उपकरणों/मशीनों की आपूर्ति, स्थापना तथा कमीशनिंग के समस्त कार्य कराये जाने हेतु अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान किया जाता है :-

क्र0	कार्य मद	निविदा की एल-1 दरें/लागत		फर्म द्वारा निगोशियन पर पुनरीक्षित की दरें/लागत	
		दर प्रति यूनिट	कुल लागत	दर प्रति यूनिट	कुल लागत
1	आटा गूंथने की मशीन (25 अदद)	60000	1500000	60000	1500000
2	आटा पेड़ा मेकर मशीन (25 अदद)	65000	1625000	65000	1625000
3	चपाती मेकर मशीन (50 अदद)	351000	17550000	351000	17550000
4	पोटेटो पीलर मशीन (50 अदद)	60000	3000000	51500	2575000
5	वेजिटेबल कटर मशीन (50 अदद)	72000	3600000	50500	2525000
6	गेहूँ छानने की मशीन (25 अदद)	55000	1375000	55000	1375000
7	इलेक्ट्रानिक चिमनी सिस्टम (25 अदद)	825000	20625000	798000	19950000
	उपकरणों की कुल लागत का योग-	-	49275000	-	47100000

(रूपये चार करोड़ इकहत्तर लाख मात्र)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

क- प्रश्नगत क्रय शासन की क्रयनीति, सामग्रीक्रय नियमों/विनियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों यथा शासनादेश सं0-2177/एल/18-7-94-151(एस0पी0)/82 दि0-17.10-94 एवं शासनादेश सं0-344/18-5-2003-76(एस0पी)/86, दिनांक-10.03.03 का पूर्ण अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

ख- प्रश्नगत उपकरण का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचरिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेशों के अनुसार किया जायेगा।

ग- क्रय की जाने वाली सामग्री की गुणवत्ता, न्यूनतम मूल्य दर, समयबद्व आपूर्ति और उसका पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

घ- आपूर्तिकर्ता फर्मों एवं महानिरीक्षक कारागार के मध्य क्रय से पूर्व सम्यक् अनुबन्ध किया जायेगा।

ङ- क्रय की गयी सामग्री का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करते हुए उपयोग की वित्तीय/भौतिक प्रगति रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

च- क्रय की कार्यवाही पूर्ण होने पर महानिरीक्षक कारागार द्वारा इसकी सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- **26**/2018/330(1)/22-4-2018-तददिनांकित-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कलाम मुहीउद्दीन
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in